फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री राकेश**
किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम

विपक्षी :– **श्री देवीलाल**
पत्रावली संख्या :– 51/25
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/230

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 08.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 184 पर दर्ज आराजी नम्बर 248 से 250, 592 से 594, 599, 600, 608, 609, 613 किता 11 कुल रकबा 2.4604 हेक्टेयर, खाता संख्या 185 पर दर्ज आराजी नम्बर 1131 से 1137, 1863/1130 किता 8 कुल रकबा 1.7403 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 186 पर दर्ज आराजी नम्बर 251 से 255 किता 5 कुल रकबा 2.0558 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहा हैं। विपक्षीगण खातेदार होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी तथा इन्हे अपनी भूमि का विकास करने, ऋण आदि लेने में कठिनाई का सामना करना पडेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested